GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal/Pt.2 Dated: 29.06.2017

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 45 of 2017)

Sub: Implementation of Goods and Services Tax (GST) on Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK).

Please refer to this office letter no. TC-II/2910/2017/GST/2 dated 09.06.2017 wherein approach paper for implementation of Goods and Services Tax on the subject of Traffic Commercial Directorate has been issued to all zonal Railways. Para A.10 of the same deals with YTSK, which stipulates as under:-

YTSKs are authorized private ticket booking agents on Indian Railways. The tickets issued through YTSK are essentially window tickets and GST on fare will be charged as in the case of window tickets. GST will also be applicable on service charge collected by YTSK. As in the case of service tax at present, YTSK shall be responsible for collection and deposition of GST on service charge. The location of supplier will be the place of sale of ticket by YTSK and place of supply will be the place of origin (embarkation) of the customer. The logic of GST will be applicable accordingly. In case of unregistered customers, the ticket will be the tax invoice for fare and YTSK will be required to issue separate invoice for the GST collected on the service charges.

1.1 It is clarified that in case of unregistered customers (G2C), the protocol followed in issuance of ticket would be the same as in case of a normal PRS/UTS ticket.

1.2 Tickets would not be issued by YTSK licensee to G2B (registered user) customers.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board.

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal/Pt.2 Date: 29.06.2017

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

29/6/17

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/RAILWAY BOARD

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट.2 दिनांक: 29.06.2017

मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्य परिपत्र सं. 45)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 09.06.2017 के पत्र सं. टीसी-II/2910/2017/जीएसटी/2 का अवलोकन करें जिसमें यातायात वाणिज्य निदेशालय के इस विषय पर माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया गया है। इस पत्र का पैरा ए. 10 वाईटीएसके से संबंधित है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

भारतीय रेलों में, वाईटीएसके, प्राधिकृत निजी टिकट बुकिंग एजेंट हैं। वाईटीएसके द्वारा जारी की गई टिकटें अनिवार्यत: विंडो टिकटें हैं और इन पर विंडो टिकटों की भांति ही जीएसटी प्रभार लिया जाएगा। वाईटीएसके द्वारा लिए गए सेवा कर पर भी जीएसटी लागू होगा। वाईटीएसके, सेवा कर पर जीएसटी को एकत्रित करने तथा इसे जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि वर्तमान में सेवा कर के मामले में होता है। वाईटीएसके द्वारा टिकट बेचने का स्थान आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा और ग्राहक के उद्गम (आरंभ) का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। तदनुसार, जीएसटी का तर्क लागू होगा। अपंजीकृत ग्राहकों के मामले में, टिकट, किराए के लिए कर बीजक होगा और वाईटीएसके को सेवा प्रभारों पर लिए गए जीएसटी के लिए अलग से बीजक जारी करना होगा।

1.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि अपंजीकृत ग्राहकों (जी2सी) के मामले में टिकटों को जारी करने के लिए उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी जैसे सामान्य पीआरएस/यूटीएस टिकट के मामले में की जाती है।

1.2 वाईटीएसके लाइसेंसधारी द्वारा जी2बी (पंजीकृत उपयोगकर्ता) ग्राहकों को टिकटें जारी नहीं की जाएंगी।

GST

तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट.2 दिनांक: 29.06.2017

प्रतिलिपि अग्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त/ रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), नि सतर्कता(टी), निदेशक एफ (सी), प्रमुख निजी सचिव/वित्त आयुक्त, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.
4. महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614.

******

GST